बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–3727 दिनांक 30.04.2009 द्वारा निर्धारित शर्त्तो के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के न्यायिक वादों में प्रतिशपथ पत्र/आवेदन इत्यादि दायर करने हेतु तथ्य विवरणी (अंग्रेजी में) तैयार करने के लिए निम्नलिखित विद्वान अधिवक्ताओं के नाम विभागीय पैनल में सम्मिलित किये जाते है :–

कमांक	नाम	पता	दूरभाष सं०/मोबाईल संख्या/ ई–मेल पता
1	श्री प्रशांत प्रकाश, एल. एल.एम.	राधा कुंज, रामनगरी, सेक्टर–4, पोस्ट–अशियानानगर, पटना–800025	8986275102, 09818770903 prashant4580@yahoo.co.in
2	श्री सतीश कुमार सिन्हा, एल.एल.बी.	सेक्टर–डी, जयप्रकाश नगर, अशियाना नगर रोड, पटना–800025	9279055741 tiwarisatish1971@gmail.com
3	श्री अनवर करीम, एल.एल.बी.	हथुआ पाठशाला के पीछे, पो.–जी.पी. ओ. साउथ मंदिरी, पटना, थाना–बुद्धा कॉलोनी, पटना–800001	9931642470, 9865419160 anwarkarim1962@gmail.com
4	श्री आलोक, एल.एल.बी.	रोड नं–23 एक्सटेंशन, श्रीकृष्णानगर, पटना, बिहार, पीन–800001	9835019097 alok_pat_law@yahoo.co.in
5	श्री मदन कुमार, एल.एल.बी.	मकान नं.–ए/23, बिन्दा साह, स्नेही पथ, डा0 बी0 भटटाचार्या रोड, पश्चिमी पटेल नगर, पटना–800023,	9931005268 madankumaradvocate@gmail.com

3. उपर्युक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्त्तो के साथ विभिन्न न्यायिक वादों में विभाग की ओर से दायर की जाने वाली तथ्य विवरणी/कारण–पृच्छा/अपील/आवेदन आदि के प्रारूप तैयार करने हेतु विभागीय पैनल में सम्मिलित किया जाता है :–

(i) प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए, यदि तथ्य विवरणी विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती है तो, रू० 1,200.00 (एक हजार दो सौ रूपये) मात्र तथा प्रारूप के कम्प्यूटर टंकण, आदि मद में प्रति अनुमोदित तथ्य विवरणी रू० 300.00 (तीन सौ रूपये) मात्र, अर्थात कुल 1,500.00 (एक हजार पॉच सौ रूपये) मात्र की राशि भुगतेय होगी। यह दर राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के आलोक में समय–समय पर बढ़ या घट सकती है।

(ii) संबंधित पैनल अधिवक्ता को प्रत्येक माह के प्रारंभ में विगत माह में तैयार की गई तथ्य विवरणियों की सूची के साथ अपना विपत्र विभाग को समर्पित करना होगा, जिसकी जॉचोपरान्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(iii) संबंधित पैनल अधिवक्ता से विभाग की अपेक्षा होगी कि संबंधित अधिनियमों/नियमावलियों/विभागीय अनुदेशों से भली–भॉति अवगत हो लें, ताकि तथ्य विवरणी तैयार करते समय इनके सुसंगत प्रावधानों को उल्लेख किया जा सके।